न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 38/2021

अपीलार्थीगण –	*बनाम*	उत्तरदाता–
1. उगमसिंह पुत्र राजसिंह जाति राजपूत निवासी जानसिंह की बेरी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.09.2021 जो प्रकरण सं. 01/2021 में तहसीलदार गडरारोड द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदात्ता की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 15.04.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण सं. **01/2021** सरकार बनाम **उगमसिंह** में पारित निर्णय दिनांक **06.09.2021** के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का **ताणुमानजी** द्वारा तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा **जानसिंह की बेरी** के खसरा नम्बर **635 रकबा 160.01** बीघा भूमि किस्म बा.चा. में से **11** बीघा भूमि पर गैर सायल द्वारा अपीलाधीन सिवाय चक भूमि पर अवैध कब्जा–काश्त कर अतिक्रमण एवं कब्जा बाड़ कर ली है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

जवाब हेतु तलब किया गया। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं गैर सायल के जवाब का परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **06.09.2021** के द्वारा तीन माह का सिविल कारावास की सजा एवं **17**/— रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने दिनांक **05.10.2021** को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही स्थगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने बहस सुनी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय पर विहंगम दृष्टिपात किए जाने से प्रकट होता है कि विवेच्य निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित बिना गहराई में गए सरसरी तौर पर छपे—छपाए प्रफॉर्मा में यह निर्णय पारित किया गया है। ज्ञात रहे कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा निराधार ही अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं जुर्माने एवं सजा का आदेश दिया है। जबकि अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं है। विचारणीय बिंदू यह है कि विवादित खसरा नंबर **635/483** कुल **160.01** बीघा किस्म **बा.चा.** है, ऐसे में विप्रार्थी केवल **11** बीघा पर ही अतिक्रमण क्यों करता है, ज्यादा या पूरे पर भी कर सकता था। वास्तविकता यह है कि अपीलांट को अति पुराने कब्जा काश्त के आधार पर खेत खसरा नंबर **633/483 रकबा 50** बीघा नियमन हुआ है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर काबिज है जहां बहुत पुरानी रहवासी ढाणी, बाडे, टांका, तारबंदी आदि बने हुए हैं। बावजूद इसके अपीलार्थी को कथित रूप से विवादित खसरा नंबर **635/483** का अतिक्रमी होना दर्शाया है। ऐसी

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दशा में भी विवेच्य निर्णय खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना निर्विवाद रूप से साबित नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय श्री तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा भुगताने का आदेश पारित किया है, जो सर्वथा गलत ही नहीं बल्कि विधिविरूद्ध भी है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्टकर्ता हल्का पटवारी के बयान नियमानुसार सशपथ दर्ज नहीं किए हैं और न ही जिरह का अवसर दिया है। न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण का संधारण विहित प्रक्रिया से नहीं किया गया है। कथित अतिक्रमण की सही पैमाईश नहीं की गई है कि आया अपीलार्थी विप्रार्थी का पुराना कब्जा सरकारी खसरा नंबर **635** में आता है या नहीं। इतना ही नहीं सिविल जैल की सजा का विवेच्य निर्णय दिनांक **06.09.2021** अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जो कि विधि अनुसार अनुमत् नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण पूर्णरूपेण त्रुटिग्रस्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एक तरफा रूप से पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है क्योंकि हाल ही में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस को लेकर पुलिस द्वारा गांव में अपीलांट बारे में पूछताछ करने पर अपीलांट को अंदेशा हुआ तब विवेच्य आदेश व निर्णय दिनांक **06.09.2021** की प्रमाणित प्रति चाही गई जो दिनांक **01.10.2021** को प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी मिली है।
6. रेस्पोडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।
7. हमने अधिवक्ता अपीलांट के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन खसरा नम्बर **635 रकबा 160.01** बीघा किस्म **बा.चा.** में से **11** बीघा भूमि पर अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी **ताणुमानजी** द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलकर्ता का कथन है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया, परंतु अप्रार्थी द्वारा समुचित अवसर प्रदान करवाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलांट का कथन हैं कि विवादित खसरा नंबर **635 कुल 160.01** बीघा किस्म **बा.चा.** है, ऐसे में विप्रार्थी केवल **11** बीघा पर ही अतिक्रमण क्यों करता है, ज्यादा या पूरे पर भी कर सकता था। जहां तक राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न हैं तो हल्का पटवारी के संज्ञान में आने पर समस्त प्रकार की राजकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण की सूचना/रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करने का पदीय दायित्व हैं, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती हैं एवं इस संबंध में तहसीलदार गडरारोड़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2026 के अनुसार आदिनांक तक अप्रार्थी का कब्जा उक्त खसरे पर है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने कब्जे के बाबत स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से सिविल कारावास का जो दण्डादेश पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व आधारहीन

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक **06.09.2021** यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)